न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : राजेन्द्र सिंह चांदावत, आर0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 08/2024

अपीलांट–
1. खेताराम पुत्र जेठाराम
2. खूमाराम पुत्र हेमाराम
3. खेमाराम पुत्र हेमाराम
4. दीनाराम पुत्र हेमाराम
5. पारूदेवी पत्नि जेठाराम
6. हीराराम पुत्र हेमाराम
7. गंगाराम पुत्र ठाकराराम

जाति जाट निवासी दानासर, चौखला तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –
1. जालुराम पुत्र सताराम
2. बाबूलाल पुत्र सताराम
3. रामाराम पुत्र सताराम जाति जाट निवासी दानासर, चौखला तहसील बाटाडु जिला बाडमेर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बाटाडु

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक राजस्व/2016/रा.लो.आ./49 दिनांक 30.06.2016 जो तहसीलदार बायतु द्वारा पारित किया।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

उपस्थिति :–
1. श्री नरपत सिंह चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री प्रकाश चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से उपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 18.08.2025

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाटाडु के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश क्रमांक राजस्व/2016/रा.लो.आ./49 दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध पेश की गई है।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 से 3 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 583 रकबा 174.11 बीघा मौजा दानासर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर में आया

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

हुआ है। ग्राम दानासर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 583 रकबा 174.11 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 3 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.06.2016 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2016/रा.लो.आ./49 दिनांक 30.06.2016 पारित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश को अपास्त करने हेतु यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 27.05.2024 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया। हस्तगत अपील के विचारण के दौरान रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 द्वारा उपस्थित होकर इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों की ताईद की गई।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभय पक्ष के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान की खातेदारी भूमि के विभाजन पत्र स्वीकृति आदेश क्रमांक राजस्व/2016/रा.लो.आ./49 दिनांक 30.06.2016 पारित करने में भारी कानूनी तथ्यों की भूल की है। तत्कालीन हल्का पटवारी द्वारा उतरदाता संख्या 1 से 3 के दबाव में रहते हुए विभाजन समझौता प्रस्ताव अपीलांट्स एवं उतरदातागण द्वारा नक्शे पर किए गए हस्ताक्षर व अंगुष्ठ निशान पर हल्का पटवारी ने खसरा नंबर 583 के संबंध में नक्शा उतरदाता संख्या 1 से 3 के कहे अनुसार तैयार कर तहसीलदार बायतु के समक्ष पेश कर दिया। इस समस्त कार्यवाही का अपीलांट्स ग्रामीण व्यक्ति होने व कानूनी बारीकियों से अनभिज्ञ होने से ज्ञान नहीं हो सका। इस स्थित में अपीलाधीन आदेश अपास्त योग्य है।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा उक्त के बारे में सम्पूर्ण जानकारी तब हुई जब वर्तमान में बरसात का मौसम नजदीक आने पर अरसा 20–25 दिन पूर्व अपीलांट्स ने मौके पर कब्जा काश्त के

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

अनुसार अपने हिस्से की भूमि पर खरीफ फसल की तैयारी करने हेतु सुड़ किया जाने लगा तब उतरदाता संख्या 1 से 3 ने भूमि का विधिवत रूप से पटवारी से पैमाईश करवाकर काबिज होने के बाद ही काश्त करने का कहा, जिस पर अपीलांट ने कहा कि हम मौके पर कब्जे काश्त के अनुसार ही काबिज है, जिस पर उतरदाता संख्या 1 से 3 ने कहा कि मौके की स्थिति में व तरमीम में भिन्नता है, जिस पर अपीलांट को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा जिस पर अपीलांट ने विभाजन प्रस्ताव व आलोच्य आदेश की प्रति दिनांक 08.05.2024 को प्राप्त करने पर ही बंटवाडे के गलत होने की जानकारी हुई। इस प्रकार से ज्ञान होने की तारीख से अन्दर मयाद पेश है तथा जानबूझकर कोई देरी नहीं की गई है। इस हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है।

6. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 3 की ओर से इकबाली जवाब प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील के तथ्यों की ताईद की गई तथा अपीलाधीन आदेश निरस्त कर अपीलांट व रेस्पोडेंट्स के हिस्सों का विभाजन मौका पर कब्जा–काश्त अनुसार पुनः किये जाने का निवेदन किया।

7. हमने उभय पक्ष के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 से 3 के पैतृक खातेदारी के मूल खेत खसरा नंबर 583 रकबा 174.11 बीघा मौजा दानासर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर में आया हुआ है। ग्राम दानासर पटवार क्षेत्र चौखला तहसील बायतु जिला बाडमेर के खेत खसरा नंबर 583 रकबा 174.11 बीघा के संयुक्त खातेदार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 01 से 3 ने प्रार्थना–पत्र दिनांक 30.06.2016 को तहसीलदार बायतु के समक्ष प्रस्तुत कर संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का बाहमी तौर से विभाजन करने का निवेदन किया। इस पर तहसीलदार बायतु द्वारा पक्षकारान के द्वारा प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश क्रमांक राजस्व/2016/रा.लो.आ./49 दिनांक 30.06.2016 पारित किया गया। अपीलांट की अपील एवं रेस्पोडेंट्स की ओर से प्रस्तुत इकबाली जवाब अनुसार इस विभाजन इकरारनामा में भूमि के विभाजन नक्शा की प्रस्तावित तरमीम की मौका कब्जा अनुसार जांच नहीं करवाई गई। इस प्रकार तहसीलदार बायतु द्वारा खातेदारान की कृषि जोत के विभाजन हेतु राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे विहित प्रक्रिया का पालन नही किया गया है। पक्षकारान

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर (ए.डी.एम.)

ने उपस्थित होकर इकबाली जवाब व अपील का समर्थन करते हुए अपीलाधीन आदेश को निरस्त फरमाया जाकर मौका कब्जा काश्त एवं हिस्सा रकबा अनुसार पुनः नये सिरे से विभाजन किये जाने का निवेदन किया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बायतु द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व मौका कब्जा की जांच नहीं करने से उक्त विभाजन दूषित एवं विवादित हो गया है, जिसे बहाल रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर रेस्पोडेंट तहसीलदार बायतु द्वारा विभाजन स्वीकृति आदेश क्रमांक राजस्व / 2016 / रा. लो.आ. / 49 दिनांक 30.06.2016 अपास्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार बाटाडु को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि मौका कब्जा एवं पक्षकारान की सहमति अनुसार राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 मे यथा विहित प्रावधानों की पालना करते हुए पुनः नये सिरे से विभाजन की कार्यवाही करें।

9. निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय अपर कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

(राजेन्द्र सिंह चांदावत)
अति. जिला कलक्टर, बाड़मेर
अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)